सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 09.05.2025

ऑटो मे बैठे व्यक्ति की जेब काटकर रुपये चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 10,000/- रुपये तथा निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त ऑटो किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी भरथना के कुशल नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.05.2025 को वादी हाकिम सिंह पुत्र वंशलाल निवासी ग्राम डडियन थाना भरथना जनपद इटावा ने थाना भरथना पर तहरीरी सूचना दी कि आज समय करीब 11:10 बजे जब वह अपने लडको के साथ भैंस बेचकर परशुपुरा से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान वह पागल बाबा मन्दिर के पास टेम्पो चालक अंकित कुमार पुत्र राजीव कुमार तथा उसके भाई अनुज कुमार निवासीगण राजागंज कस्वा व थाना भरथना जनपद इटावा ने वादी की जेब में रखे 80,000/- रुपये जेब काटकर निकाल लिये तथा अनुज कुमार को रूपये लेकर भगा दिया। वादी द्वारा पैसे वापस मांगने पर अंकित उपरोक्त वादी व उसके लडकों के साथ मारपीट/गाली- गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

तहरीर के आधार पर **थाना भरथना पर मु0अ0सं0 118/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/303(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 09.05.2025 को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मोढ़ा देव मन्दिर के कही जाने की फिराक मे पास खड़े है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्तगण अंकित कुमार व अनुज कुमार पुत्रगण राजीव कुमार को मोढ़ा देव मन्दिर के पास से समय 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्तों से नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से **10,000/- रुपये बरामद** हुये। पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र राजीव कुमार ने बताया कि कल दिनांक 08.05.25 को जब वह अपने टैम्पो UP 75CT 5855 से सवारियो को बैठाकर बकेवर से भरथना ला रहा था, इसी दौरान पागल बाबा मन्दिर के पास उसने अपने भाई अनुज के साथ मिलकर टैम्पो में बैठे 01 व्यक्ति की जेब काटकर 80,000/- रूपये निकाल लिये तथा अनुज को टैम्पो रोककर भगा दिया था तथा चोरी किये रुपयो मे से शेष 70,000 रूपये हम लोगो खर्च कर दिये।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त टैम्पो को पागल बाबा मन्दिर के पीछे से बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना भरथना पर पंजीकृत पर मु0अ0सं0 118/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/303(2) बीएनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा बरामद टैम्पो(ऑटो) को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अंकित कुमार पुत्र राजीव कुमार निवासी राजागंज कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा **उम्र 30 वर्ष।**
2. अनुज कुमार पुत्र राजीव कुमार निवासी उपरोक्त **उम्र 33 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 118/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा

बरामदगीः-

1. 10,000/- रुपये।
2. 01 टैम्पो (ऑटो) **UP 75 CT 5855** **(घटना मे प्रयुक्त)**

पुलिस टीम- निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी भरथना, उ0नि0 राजेश कुमार, का0 सोनवीर व का0 अरूण कुमार।